अध्याय 23 : केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State)

केंद्र-राज्य संबंध

1. विधायी संबंध

1. संविधान: भाग XI (अनु. 245–255)
2. 7वीं अनुसूची: संघ, राज्य, समवर्ती सूची
3. अवशिष्ट शक्तियाँ — केंद्र
4. राज्य सूची पर संसद की शक्ति: विशेष परिस्थितियाँ

2. प्रशासनिक संबंध

1. संविधान: भाग XI (अनु. 256–263)
2. राज्यों को केंद्र के निर्देश
3. कार्यों का पारस्परिक प्रत्यायोजन
4. अंतर-राज्य परिषद
5. अखिल भारतीय सेवाएँ

3. वित्तीय संबंध

1. संविधान: भाग XII (अनु. 268–293)
2. करों का विभाजन
3. अनुदान-इन-एड
4. वित्त आयोग
5. GST परिषद

11 12

4. न्यायिक संबंध

1. एकीकृत न्यायपालिका
2. उच्चतम न्यायालय की भूमिका
3. संघीय विवादों का निपटारा
4. संविधान की सर्वोच्चता

5. अंतर-राज्यीय संबंध

1. नदी जल विवाद
2. समन्वय और सहयोग
3. अंतर-राज्य परिषद/क्षेत्रीय परिषदें
4. विवाद समाधान तंत्र

6. संघवाद की प्रकृति

1. सहकारी संघवाद
2. प्रतिस्पर्धी संघवाद
3. सहकारी-प्रतिस्पर्धी संतुलन
4. मजबूत केंद्र + राज्यों की स्वायत्तता

Chapter 23: Centre-State Relations

CENTRE – STATE RELATIONS

1 LEGISLATIVE RELATIONS

1	Distribution of legislative powers (Union, State & Concurrent Lists)	Arts. 245–246 & 7th Schedule
2	Residuary powers with Centre	Art. 248
3	Parliament's power to legislate on State List (special situations)	Arts. 249, 250, 252, 253
4	State laws and repugnancy	Art. 254
5	Special provisions for some states (J&K, NE States, etc.)	Arts. 370, 371 & 371A–J

2 ADMINISTRATIVE RELATIONS

1	Distribution of executive powers	Arts. 257–258
2	States to comply with Union directions	Art. 256
3	Union control in certain cases (construction of means of communication, defence, etc.)	Art. 257
4	Delegation of Union functions to States	Art. 258
5	All India Services (IAS, IPS, IFoS)	Art. 312

3 FINANCIAL RELATIONS

1	Distribution of taxation powers	Arts. 268–271
2	Grants-in-aid from Centre to States	Art. 275
3	Finance Commission (every 5 years)	Art. 280
4	Planning & non-plan transfers	NITI Aayog (Executive body)
5	GST Council (Cooperative federalism)	Art. 279A
6	Consolidated Fund, Contingency Fund and Public Account (State)	Arts. 266–267
7	Borrowing powers of States	Art. 293

4 JUDICIAL RELATIONS

1	Integrated judicial system (Single hierarchy)	Art. 50
2	Jurisidiction of Supreme Court over Centre–State disputes	Art. 131
3	High Courts – common to one or more States	Art. 231
4	Power to transfer cases between High Courts	Art. 222
5	Subordinate courts under State control	Art. 235

5 INTER-STATE RELATIONS

1	Inter-State Council	Art. 263
2	River water disputes	Art. 262
3	Zonal Councils	States Reorganisation Act, 1956
4	Bilateral consultations and negotiation	–
5	Role of Union Government as mediator	–

6 NATURE OF CENTRE-STATE RELATIONS

1	Co-operative federalism	Constitutional scheme
2	Competitive federalism	Policy & economic initiatives
3	Quasi-federal features (Strong Centre)	Single Constitution, unitary bias
4	Asymmetric federalism (special provisions for some states)	Arts. 371, 371A–J
5	Emerging trends: cooperation, coordination & conflict management	Inter-governmental mechanisms

1) सामान्य परिचय (General Introduction)

- संघीय व्यवस्था → केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन
  - ✓ मजबूत केंद्र वाला संघ → **कनाडा**
  - ✓ शक्तियों का विभाजन → भारत सरकार अधिनियम, 1935
- अनु. 1 — भारत "राज्यों का संघ" (Union of States) है
  - ✓ समझौते का परिणाम नहीं → संघ से अलग होने का अधिकार नहीं।
- केंद्र-राज्य संबंधों को **तीन भागों** में बाँटा गया है —
  - ✓ **विधायी संबंध** → भाग 11, अध्याय 1 (अनु. 245–255)
  - ✓ **प्रशासनिक संबंध** → भाग 11, अध्याय 2 (अनु. 256–263)
  - ✓ **वित्तीय संबंध** → भाग 12 (अनु. 264–293)
- भारत में एकीकृत न्यायपालिका है

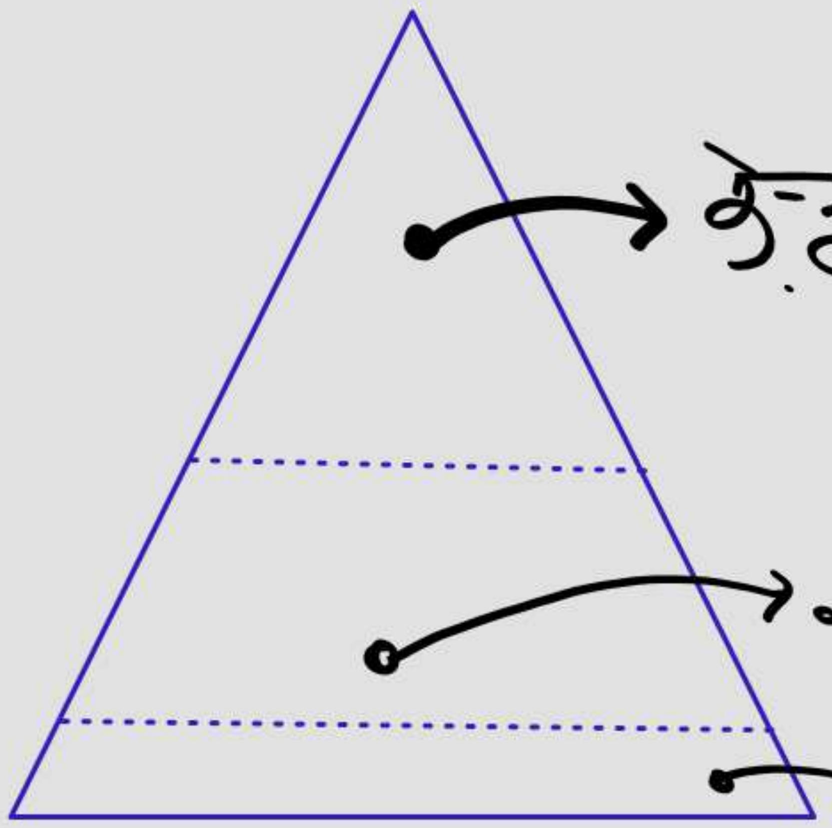

- केन्द्र सरकार (Union)
- राज्य की सरकारें
- स्थानीय प्रशासन
  ↓
  73 + 74 CA 1992
  → पंचायत + नगर निकाय.

• 1935
└ GoI Act
  - → अखिल भारतीय संघ (AIF)
  - → UL + SL + CL.

ART 01 ⇒ Union of states
→ राज्यो को अलग नहीं (x)

संघवाद = केन्द्र ↑↑ ⇒ कनाडा Model

केन्द्र राज्य संबंध (C-S Rel.)

- भाग 11
  - विधायी (Legist)
  - प्रशासनिक (Adminst.)
- भाग 12
  - वित्तीय (financial)

245

- → संसद (Parliament) → पूरे देश के लिए कानून
  - Country = law making.
- → राज्य की विधायिका (state leg.) → राज्य की सीमा (State barry).
- → अपवाद
  - 5th.
  - 6th.
  - 240. = राष्ट्रपति

- **246** → शक्तियों का विभाजन (Division of power)
  - संघ सूची (Union) ⇒ 246(1) ⇒ 97 → 100.
  - समवर्ती (Concurrent) ⇒ 246(2) ⇒ 47 → 52.
  - राज्य सूची (State) : 246(3) ⇒ 66 → 61.

- **246(A)**
  - GST ← 101 CA 2016
  - 101 CA 2016
  - GST पर कानून (GST law)
    - संसद (P) ✓ ⇒ CGST
    - राज्य (SL) ✓ ⇒ SGST
  - अंतरराज्य व्यापार (Inter) → only संसद → IGST.

247 → संसद (P) → अतिरिक्त न्यायालय (Add Court)

248 → RP / अवशिष्ट शक्तियाँ → कानून बनाने का अधिकार (Law making right) → संसद (Parliament)

RP / अवशिष्ट शक्तियाँ → विषय (Subject)

विषय (Subject) → राज्य सूची ⊗

विषय (Subject) → समवर्ती सूची ⊗

संसद ⇒ राज्य सूची
Pau ⇒ State list
> Law making.

249
→ राज्यसभा → 2/3 बहुमत / Majority
→ अधिकतम वैधता = एक वर्ष
→ 6 माह के बाद समाप्त

249
↳ पुलिस
- संसद ✓
- राज्य ✓

250
→ राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency)
→ संसद (Par) → राज्य सूची
→ आपातकाल समाप्ति के 6 माह।

251
→ 249
→ 250
राज्य शक्ति ↑↑

252 → यदि = दो या दो से अधिक राज्य
if = two or more than two
→ संसद से → कानून

253
→ यदि = अंतर्राष्ट्रीय संधि / समझौते
→ लागू (Imp) → संसद → राज्य सूची. (255)

254
→ समवर्ती सूची के विषय पर टकराव
→ संसद ✓

2) विधायी संबंध → भाग 11, अध्याय I : अनुच्छेद 245-255

- **अनुच्छेद 245 — विधान का प्रादेशिक विस्तार**
  - ✓ संसद : पूरे भारत के लिए कानून बना सकती है
  - ✓ राज्य विधानमंडल : केवल अपने राज्य की सीमा
  - ✓ संसद की विधि विदेश में रह रहे भारतीयों व उनकी संपत्ति पर भी लागू होती है।
- **संसद की प्रादेशिक शक्ति — तीन प्रमुख अपवाद**
  - ✓ अनुच्छेद 240 → अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली व दमन-दीव, और लद्दाख के लिए राष्ट्रपति द्वारा विनियम
  - ✓ 5वीं अनुसूची के क्षेत्र (राज्यपाल की शक्ति)
  - ✓ 6वीं अनुसूची के क्षेत्र (राज्यपाल और राष्ट्रपति की अलग-अलग शक्तियां)
  - ✓ असम के मामले में : राज्यपाल
  - ✓ मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के मामले में : राष्ट्रपति
- **अनुच्छेद 246 — विधायी विषयों का विभाजन**
  - ✓ संघ सूची (Union List) : 100 विषय (मूल रूप से 97)
  - ✓ राज्य सूची (State List) : 61 विषय (मूल रूप से 66)
  - ✓ समवर्ती सूची (Concurrent) : 52 विषय (मूल रूप से 47)

विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करने वाले अनुच्छेद → 245 तथा 246

विषयों का विभाजन : संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची

संघ सूची (प्रमुख विषय)	राज्य सूची (प्रमुख विषय)	समवर्ती सूची (प्रमुख विषय)
1 रक्षा, सशस्त्र बल, परमाणु ऊर्जा	1 लोक व्यवस्था, पुलिस	1 शिक्षा (42वें संशोधन से)
2 विदेशी मामले, युद्ध व शांति, अंतरराष्ट्रीय संधियों	2 कारागार	2 वन; वन्य जीवों व पक्षियों का संरक्षण
3 नागरिकता, जनगणना	3 कृषि, सिंचाई	3 जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन (20A)
4 रेल, वायु परिवहन, राष्ट्रीय जलमार्ग (प्रविष्टि 24)	4 भू-राजस्व, भूमि	4 बाट व माप (भार-माप मानकों को छोड़कर)
5 डाक-तार, टेलीफोन, प्रसारण	5 लोक स्वास्थ्य व स्वच्छता, अस्पताल	5 आर्थिक व सामाजिक योजना (प्रविष्टि 20)
6 मुद्रा, बैंकिंग, RBI, बीमा	6 स्थानीय शासन (पंचायत, नगरपालिका)	6 विवाह, तलाक, शिशु व अवयस्क, दत्तक (प्रविष्टि 5)
7 विदेशी व्यापार, अंतरराज्यिक व्यापार	7 राज्य के भीतर व्यापार-वाणिज्य; बाज़ार व मेले	7 दंड विधि, दंड प्रक्रिया
8 सीमा शुल्क, निगम कर, आयकर (कृषि आय छोड़कर)	8 कृषि आय पर कर, भू-राजस्व	8 समाचार-पत्र, पुस्तकें व मुद्रणालय
9 विदेशी ऋण, भारत का लोक ऋण	9 राज्य लोक सेवा	9 कारखाने, बिजली, श्रम कल्याण, ट्रेड यूनियन
10 UPSC, सर्वोच्च न्यायालय, CAG, चुनाव	10 मत्स्य पालन, पशुपालन, गैस	10 न्याय प्रशासन (SC व HC को छोड़ अन्य न्यायालयों का गठन)

Distribution of Subjects: Union List, State List and Concurrent List

Union List (Major Subjects)

1. Defence, Armed Forces, Atomic Energy
2. Foreign Affairs, War and Peace, International Treaties
3. Citizenship, Census
4. Railways, Air Transport, National Waterways (Entry 24)
5. Posts, Telegraphs, Telephones, Broadcasting
6. Currency, Banking, RBI, Insurance
7. Foreign Trade, Inter-State Trade and Commerce
8. Customs Duty, Corporation Tax, Income Tax (except Agricultural Income)
9. Foreign Loans, Public Debt of India
10. UPSC, Supreme Court, CAG, Elections

State List (Major Subjects)

1. Public Order, Police
2. Prisons
3. Agriculture, Irrigation
4. Land Revenue, Land
5. Public Health and Sanitation, Hospitals
6. Local Government (Panchayats, Municipalities)
7. Trade and Commerce within the State; Markets and Fairs
8. Tax on Agricultural Income, Land Revenue
9. State Public Services
10. Fisheries, Animal Husbandry, Gas

Concurrent List (Major Subjects)

1. Education (shifted by the 42nd Amendment)
2. Forests; Protection of Wild Animals and Birds
3. Population Control and Family Planning (Entry 20A)
4. Weights and Measures (except Standards of Weights and Measures)
5. Economic and Social Planning (Entry 20)
6. Marriage, Divorce, Infants and Minors, Adoption (Entry 5)
7. Criminal Law, Criminal Procedure
8. Newspapers, Books and Printing Presses
9. Factories, Electricity, Labour Welfare, Trade Unions
10. Administration of Justice (constitution and organization of courts other than the Supreme Court and High Courts)

अनुच्छेद 246A —वस्तु एवं सेवा कर (GST) के संबंध में विशेष उपबंध

- ✓ 101वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2016
- ✓ संसद तथा प्रत्येक राज्य की विधानमंडल—दोनों—GST के संबंध में कानून बना सकते हैं।
- ✓ अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य (Inter-State Supply) → केवल संसद
- ✓ GST को 7वीं अनुसूची में नहीं डाला गया है।

अनुच्छेद 247 — अतिरिक्त न्यायालय

- ✓ **संघ सूची** के कानूनों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए **संसद** कुछ **अतिरिक्त न्यायालयों (Additional Courts)** की स्थापना कर सकती है।
- ✓ पेट्रोलियम क्रूड, हाई-स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस और विमानन टरबाइन ईंधन (ATF) पर तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक कि GST परिषद इसके लिए कोई विशेष तिथि तय न कर दे।

अनुच्छेद 248 — अवशिष्ट शक्तियां (Residuary)

- ✓ जो विषय राज्य सूची और समवर्ती सूची में नहीं → कानून बनाने की शक्ति संसद के पास
- ✓ इस अवशिष्ट शक्ति में ऐसे कर (Tax) लगाने की शक्ति भी शामिल है, जिसका उल्लेख राज्य सूची या समवर्ती सूची में नहीं है
- ✓ अवशिष्ट विषयों का संबंध सातवीं अनुसूची की संघ सूची की Entry 97 से भी है

राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायी शक्ति

राष्ट्रीय हित में राज्यसभा का संकल्प	249	उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के **कम-से-कम 2/3 समर्थन** से संकल्प	संकल्प समाप्त होने के **6 माह बाद तक**
राष्ट्रीय आपातकाल	250	अनुच्छेद **352** की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो	आपातकाल समाप्त होने के **6 माह बाद तक**
राज्यों की सहमति	252	**दो या अधिक राज्यों** के विधानमंडलों के सभी सदन संकल्प पारित करें	स्वतः समाप्त नही होती; **केवल संसद**, समान प्रक्रिया से, संशोधन/निरसन कर सकती है
अंतरराष्ट्रीय करार का कार्यान्वयन	253	संधि, करार, अभिसमय अथवा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन/निकाय के निर्णय का कार्यान्वयन	कोई निर्धारित संवैधानिक समय-सीमा नहीं
राष्ट्रपति शासन	356 तथा 357	उद्घोषणा में राज्य की विधायी शक्तियाँ संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोग किए जाने की घोषणा	शासन समाप्त होने के बाद भी, जब तक **सक्षम विधानमंडल या अन्य प्राधिकारी** संशोधन/निरसन न करे

अनुच्छेद 249 का संकल्प अधिकतम 1 वर्ष के लिए होता है; हर बार 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन में बनी विधि की निरंतरता का प्रावधान अनुच्छेद 357(2) में है।

❑ अनुच्छेद 249 — राज्य सूची पर संसद का कानून

- ✓ केवल राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव
- ✓ विशेष बहुमत → उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई (2/3rd)
- ✓ वैधता : एक बार में अधिकतम 1 वर्ष
  - असंख्य बार नवीनीकृत किया जा सकता है
- ✓ समाप्ति : जब राज्यसभा के प्रस्ताव की अवधि (1 वर्ष) समाप्त हो जाती है, तो संसद द्वारा बनाया गया वह कानून भी छह महीने (6 Months) की समाप्ति पर स्वतः निष्प्रभावी (cease to have effect) हो जाता है।
- ✓ **अनुच्छेद 249 के लागू होने का मतलब यह नही है कि राज्य विधायिका उस विषय पर कानून नही बना सकती।**

❑ अनुच्छेद 250

- ✓ राष्ट्रीय आपातकाल (352) के दौरान संसद को राज्य सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने की छूट मिल
- ✓ वैधता : आपातकाल समाप्त होने के ठीक 6 महीने की समाप्ति पर संसद द्वारा बनाया गया वह कानून स्वतः खत्म (Cease to have effect) हो जाता है।
- ✓ राज्य सरकारें भी अपने विषयों पर कानून बना सकती हैं।
- ✓ लेकिन, यदि संसद के कानून और राज्य के कानून में टकराव (Repugnancy) होता है, तो संसद का कानून ही लागू होगा और राज्य का कानून उस सीमा तक निष्क्रिय (inoperative) हो जाएगा।

❑ अनुच्छेद 251 → अनुच्छेद 249 और 250 के कानूनों में टकराव

- ✓ अनुच्छेद 249 या 250 के लागू होने का अर्थ यह कतई नही है कि राज्य विधानमंडल पंगु हो गया है। राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त नहीं होती
- ✓ अनुच्छेद 251 स्पष्ट करता है कि राज्य सरकारें उसी विषय (जिस पर संसद ने कानून बनाया है) पर अपना कानून बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।
- ✓ टकराव की स्थिति में राज्य का कानून हमेशा के लिए रद्द (Repeal) या मृत (Dead) नहीं होता है। वह केवल उतने समय के लिए निष्क्रिय (Inoperative) हो जाता है, जब तक संसद का कानून लागू रहता है।

❑ अनुच्छेद 252 → राज्यों की सहमति से संसद का कानून

- ✓ यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करके संसद से अनुरोध करें, तो संसद उनके लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।
- ✓ यदि कोई अन्य राज्य बाद में इस कानून को अपने यहाँ लागू करना चाहता है, तो वह भी अपने विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित करके इसे अपना (Adopt) सकता है।
- ✓ : पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955, वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972, जल (प्रदूषण निवारण व नियंत्रण) 1974

❑ अनुच्छेद 253 →अंतर्राष्ट्रीय संधियों हेतु

- ✓ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है
- ✓ इसके लिए राज्यों की सहमति आवश्यक नहीं है
- ✓ जेनेवा कन्वेंशन अधिनियम 1960, अपहरण-रोधी अधिनियम 1982, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986

❑ अनुच्छेद 254 → समवर्ती सूची में टकराव होने पर संसद का कानून मान्य होगा

- ✓ यदि किसी राज्य ने समवर्ती सूची के विषय पर कोई ऐसा कानून बनाया है जो संसद के पुराने कानून के विरोध में है, लेकिन राज्य के राज्यपाल ने उस विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखा था, और राष्ट्रपति ने उस पर अपनी सहमति दे दी है — तो उस विशिष्ट राज्य में राज्य का कानून ही लागू होगा।
- ✓ संविधान संसद को यह शक्ति देता है कि वह राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त उस राज्य कानून को भी किसी भी समय नया कानून बनाकर संशोधित कर सकती है।

❑ अनुच्छेद 255 → प्रक्रियात्मक त्रुटि

- ✓ यदि किसी विधेयक को पेश करते समय गलती से राष्ट्रपति या राज्यपाल की 'पूर्व अनुमति' नहीं ली गई और उसे विधायिका ने पास कर दिया, लेकिन बाद में उस पारित विधेयक पर राष्ट्रपति या राज्यपाल ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो वह कानून पूरी तरह से वैध माना जाएगा।